फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर(राज.)

प्रार्थी श्री अशोक कुमार   बनाम   श्री नारायणलाल

किस्म मुकदमा : 212 R.T.Act   पत्रावली संख्या : 114/22 (प्रा.पत्र)

क्रम संख्या	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाये जो जारी की गई ।
	दिनांक : 06.10.2022 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अधिवक्ता श्री तुलसीराम डांगी द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का दस्तावेजात के पेश कर विपक्षी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाने का निवेदन किया। हमनें अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना। प्रकरण में वर्णित तथ्यों एवम दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण आवश्यक प्रकृति का प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि **मौजा सांगवा पटवार हल्का सांगवा की आराजी नम्बर 146 किता 1 रकबा 1.2383 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी सं. 1 से 8 आगामी आदेश तक वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।** विपक्षीगण को इतला ईसालनाई आरजी मजरिया जारी हो। पत्रावली वास्ते तलब विपक्ष दिनांक 21.10.2022 को पेश हो। Signature Not Verified Digitally signed by Shrikant Vyas Date: 2023.08.29 16:34:04 IST Reason: SelfAttested सहायक कलक्टर (SDO) मावली	

21/10/22
आज दिनांक की बार एसोसियेशन मावली
नें कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक....
....9/1/23.......को पेश हो।

9/1/23
आज दिनांक की बार एसोसियेशन मावली
नें कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक....
........17/4/23............को पेश हो।

17/04/23
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक....10/07/23.......को पेश हो।

20/5/23
पत्रावली तलब की गई। "प्रशासन गावों के संग
अभियान-2023' आयोजित किया जाने से पत्रावली
में अधिवक्ता पक्षकारान को सूचित किया जाकर
पत्रावली कैम्प सांगवा
दिनांक 22/6/23 को पेश हो'

सहायक कलक्टर
'SDO' मावली

22/6/23
पत्रावली आज कैम्प पेश हुई।
प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजी-
नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली
पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय
हाजा में दिनांक 10/7/23 को
पेश हो

सहायक कलक्टर
'SDO' मावली

23/06/2023
पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र तलबी मय विड्रो का पेश करने पर प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 कैम्प साकरिया खेड़ी में तलब की गई। [illegible] मय प्रार्थी उप.। प्रा.पत्र ड्रा. का. रहे। अधिवक्ता प्रार्थी [illegible] प्रार्थी [illegible] का प्रा.पत्र पेश कर उक्त पत्रावली [illegible] कार्यवाही [illegible] प्रकरण को [illegible] स्तर पर ड्रोप [illegible] प्रार्थी की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। [illegible] प्रार्थी प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते प्रकरण को आगे चलाये जाने का कोई [illegible] नहीं है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः [illegible] है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। [illegible] दाखिल दफ्तर [illegible] किया गया।

सहायक कलक्टर
'SDO' मावली

सहायक कलक्टर एवं [illegible] (एस.डी.ओ.) मावली, जिला-उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:34:04 IST
Reason: SelfAttested